

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर - 495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260017, 260209 फ़ैक्स : 07752-260154, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260017,260209, FAX : 07752-260154, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 118/विधि/2021

विज्ञापन

बिलासपुर दिनांक 06.10.2021

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिये अधिवक्ताओं का पेनल निर्धारण

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रकरणों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन अधिवक्ता पेनल में शामिल होने के इच्छुक अधिवक्ताओं से सादे कागज में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 08.11.2021 या इससे पहले, कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी के पते पर पहुंच जाना चाहिये। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ggu.ac.in का अवलोकन करें।

इस विज्ञापन से संबंधित सूचनायें, परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी केवल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अतः इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें एवं अपने आपको अद्यतन रखें।

कुलसचिव